न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—जबर सिंह आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 01/2019 **दायर दिनांकः 03.01.2019**

उनवान

1. सुरजा बाई बेवा मोहनलाल जाति अहीर निवासी छैलाबैल तहसील अटरू जिला बारां राज0।

बनाम

1. गिर्राज पुत्र मोहनलाल जाति अहीर निवासी छैलाबैल तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा भरण पोषण अधिनियम 2007

निर्णय दिनांक 04.02.2019

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र भरण पोषण अधिनियम 2007 इस आशय का पेश किया है कि हमारे शामलाती खाते की भूमि है। जिसमें हमारे बराबर—बराबर हिस्से हो रहे है तथा मेरे हिस्से की भूमि व मेरी पुत्री राधाबाई की भूमि है। जो मेरे पुत्र गिर्राज पुत्र मोहन लाल जाति अहीर निवासी छैलाबेल ने जबरन कब्जा कर लिया है। और मुझे रोटी भी नही देता है। तथा गाली गलोच व मेरे साथ मारपीट करता है। तथा मेरी भूमि में अभी सरसों की फसल बो दी है। तथा पहले भी उड़द बो दिये थे और मेने पैसे मांगे तो मुझे मारने को आमादा हो रहा है। तथा मै भूख से परेशान हूॅ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे मेरे व मेरी पुत्री की भूमि से जबरन कब्जा छुडवाने की कृपा करें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी की गई, अप्रार्थी द्वारा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी को दिनांक 31.01.2019 को क्रमांक 28/2019 से नोटिस इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी द्वारा माता का भरण पोषण नही किया जा रहा है। तथा प्रार्थीया व वहन के हिस्से पर जबरन कब्जा कर रखा है। प्रार्थिया द्वारा की गई कार्यवाही गलत तथ्यों पर पेश की गई है। सुरजा बाई अपने बडे पुत्र जुगल किशौर के पास रहती है। जिसका भरण पोषण प्रार्थी का बड़ा भाई करता चला आ रहा है, तथा प्रार्थी की माता गिर्राज के पास रहती है। तो वह अपनी मां को अपने पास रखकर भरण पोषण करने को तैयार है। प्रार्थी की मां के पास अलग से वर्तमान

में 7 बीघा आराजी वाके माल छैलाबैल में स्थित है, तथा पूर्व में भी प्रार्थीया लगभग 34 बीघा आराजी का बैचान कर चुकी है। यदि प्रार्थिया सम्पूर्ण आराजी का बैचान कर देती है तो प्रार्थी व उसके परिवार को भुखों मरने की नोबत आ जावेगी प्रार्थी अपनी माता को भरण पोषण राशि 10000/—रूपये वार्षिक देने को तैयार है।

अतः श्रीमान की सेवा में जवाब नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन प्रार्थी निवेदन करता है कि प्रार्थी के परिवार प्रार्थी के हितार्थ को देखते हुये उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

उभय पक्षकारान को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थिया द्वारा अपने हिस्से की भूमि को दिलाने का निवेदन किया, भरण—पोषण के रूप में कोई राशि प्राप्त नही करना चाहती है। प्रार्थिया द्वारा चाहा गया अनुतोष इस प्रार्थना पत्र से दिलवाया नही जा सकता है।

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना—पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जबर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां